पीरियड लीव: महिलाओं के कैरियर में सहायक या बाधक

| विवेक वार्ष्णेय

SPRF.IN

०७
२३

इशू ब्रीफ

Cover Image credits: *wallpaperflare*

If you have any suggestions, or would like to contribute, please write to us at contact@sprf.in

© Social Policy Research Foundation™

जुलाई २०२३

इशू ब्रीफ

पीरियड लीव: महिलाओं के कैरियर में सहायक या बाधक

| विवेक वार्ष्णेय

रजस्वला अवकाश या पीरियड लीव को लेकर महिलाओं में आम सहमति नहीं है। महिलाओं का एक वर्ग इसे अपने अधिकारों से जोडक़र देखता है तो वहीं एक बड़ा वर्ग इसे कामकाजी महिलाओं के कैरियर में बाधक मानता है। इस मुद्दे पर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट का मौखिक रूप से कहना था कि पीरियड लीव की अनिवार्यता महिलाओं के लिए नौकरियों के अवसर में बाधक बन सकती है। नियोक्ताओं पर पीरियड लीव का प्रावधान थोपा नहीं जा सकता।

पूरे भारत में सिर्फ बिहार में पीरियड लीव का प्रावधान

पूरे भारत में बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राज्य सरकार कामकाजी महिलाओं को माहवारी के लिए हर महीने दो दिन का अवकाश देती है। बिहार सरकार ने 1992 में अधिसूचना के जरिए महिला कर्मचारियों को हर महीने लगातार दो दिन विशेष अवकाश का प्रावधान किया है। पिछले 31 साल से यह नियम लागू है।

इस साल केरल में भी छात्राओं के लिए हर माह दो दिन का अवकाश शुरू किया गया। हालांकि केरल रजस्वला अवकाश के मामले में सबसे आगे रहा है। कोचीन(अब ऐराकुलम) की रियासत ने एक सदी पूर्व 1912 में छात्राओं को परीक्षा के दौरान माहवारी अवकाश की सुविधा दी थी। वार्षिक परीक्षा के दौरान यदि किसी छात्रा को मासिक धर्म के कारण असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता था तो उसे इम्तिहान में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जाता था। उसकी परीक्षा बाद में ले ली जाती थी।

मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत दी जा सकती है पीरियड लीव

भारत सरकार ने संसद के जरिए मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 लागू किया। यह कानून अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन(आईएलओ) संरक्षण संधि 1952, बॉम्बे मेटरनिटी एक्ट, 1929, खदान मातृत्व अधिनियम 1941 तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर लाया गया था। कानून के अमल में आने से गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ मिलना शुरू हुआ। मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को सेंट्रल सिविल सर्विसेज(सीसीएस)अवकाश नियमावली में शामिल किया गया। सीसीएस नियमावली के तहत महिला सरकारी कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव के रूप में उसके सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान 730 दिन का अवकाश दिया जाता है। महिला को उसके पहले दो बच्चों के लिए यह छुट्टी दी जाती है। बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक यह सुविधा दी जाती है। सरकार के इस कदम को कामकाजी महिलाओं के अधिकारों के प्रति एक सकारात्मक कदम माना गया है। इसी नियम के अंतर्गत पिता को भी 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाता है।

सरकार को करनी होगी पहल

स्त्रियों का माहवारी चक्र आज भी एक वर्जित विषय है। इस पर खुलकर बात नहीं की जाती है। यह मुद्दा सरकार की प्राथमिकता में नहीं लगता। ऐसा नहीं कि विधायिका के संज्ञान में यह मुद्दा नहीं लाया गया हो। अरुणाचल प्रदेश से लोक सभा सदस्य निनोंग एरिंग ने 2017 में प्राइवेट मेम्बर बिल प्रस्तुत किया था। दि मेंस्ट्रुएशन बेनेफिट बिल 2017 कानून का रूप नहीं ले सका लेकिन सरकार को इस बिल से कुछ सीख लेनी चाहिए थी और खुद पहल करके इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने संसद सत्र के दौरान दिसंबर 2022 में साफतौर पर कहा कि रजस्वला अवकाश का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी

भारत अब दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। चीन को पीछे छोडक़र भारत की आबादी इस साल 143 करोड़ हो जाएगी। भारत दुनियाभर में सर्वाधिक युवा राष्ट्र कहलाता है। दो तिहाई आबादी 15 से 64 वर्ष के बीच है। लेकिन लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी चिंताजनक है। विश्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत 2005 में 32 प्रतिशत था जो 2021 में घटकर 19 फीसदी रह गया। महिलाओं की भागीदारी के बिना देश तरक्की नहीं कर सकता। दक्षिण कोरिया ने महिलाओं को प्रोत्साहन देकर उन्हें लेबर फोर्स का हिस्सा बनाया। दक्षिण कोरिया की आर्थिक प्रगति में महिलाओं का अहम योगदान रहा है। भारत की बढ़ती आबादी बोझ नहीं बल्कि वरदान साबित हो सकती है यदि युवा पीढ़ी और खासतौर पर महिलाओं को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं शुरू की जाएं।

उत्पादकता में सहायक पीरियड लीव

जनसांख्यिकीय लाभांश(डिमोग्राफिक डिविडेंड) तभी फलीभूत होगा जब युवा लड़कियों के लिए नौकरी-पेशे को आकर्षक बनाया जाए। जनसांख्यिकीकारों का कहना है कि यंगिस्तान का दौर लगभग तीन दशक तक रहेगा। उसके बाद भारत की आबादी स्थिर हो जाएगी। यानी तीन दशक तक युवा पीढ़ी को रोजगार मुहैया कराकर अधिकतम उत्पादकता का लाभ उठाया जा सकता है। भारत की आर्थिक सम्पन्नता और उसकी प्रगति अगले दो-तीन दशक की नीतियों पर निर्भर करती है। इसमें आधी आबादी का योगदान महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद बुजुर्गों की तादाद बढऩे लगेगी। इसलिए आर्थिक उन्नति हासिल करने और अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अगले दो-तीन दशक अहम हैं।

मातृत्व का पहला कदम है माहवारी

भारतवर्ष में मातृत्व का जश्न मनाया जाता है। महिला के गर्भवती होने पर और आने वाले बच्चे की उम्मीद से समूचे परिवार में खुशी का माहौल बन जाता है। हर धर्म, जाति और प्रांत में शिशु के आगमन का उत्सव मनाया जाता है। नवजात को आर्शीवाद देने के लिए परिवार के सदस्य तरह-तरह के समारोह का आयोजन करते हैं। यह परम्परा सदियों पुरानी है जो अभी तक चली आ रही है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मातृत्व का पहला कदम रजोधर्म या मासिक चक्र ही है। स्त्रियों के मासिक धर्म के बिना उनके गर्भवती होने की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन यह भी सच है कि मासिक धर्म के साथ कई ऐसी बातें जोड़ दी गई हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अपवित्र तथा अस्पृश्य माना जाता है। भारतीय समाज इन वर्जनाओं को तोडक़र आगे बढ़ रहा है। नवजात शिशु के जन्म की तरह रजस्वला को भी उत्सव की श्रेणी में रखने की जरूरत है।

बिहार सरकार का अनुसरण करें अन्य राज्य सरकारें

बिहार की सरकार 1992 ने जो साहसिक कदम उठाया, उसे आगे ले जाने की जरूरत है। केन्द्र के साथ बाकी 27 प्रदेशों की सरकारें और केन्द्र शासित राज्य इस दिशा में पहल कर सकते हैं।

कोविड-19 की महामारी के दौरान अपने ही घर से काम(वर्क फ्रॉम होम) का चलन बढ़ा है। माहवारी के दौरान महिलाओं को घर से काम करने की अनुमति देकर भी उनकी प्रतिभा का उपयोग किया जा सकता है। महिलाओं का ही एक वर्ग पीरियड लीव को रोजगार के अवसरों में बाधा मानता है। उनका तर्क है कि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर वैसे ही कम हैं। यदि पीरियड लीव के लिए नियोक्ताओं को विवश किया गया तो वह महिलाओं को रोजगार देना ही बंद कर देंगे। इस तर्क में सच्चाई हो सकती है लेकिन उत्पादकता का अधिकतम इस्तेमाल किया जा सके, इसके लिए जरूरी है कि महिलाओं को लेबर फोर्स में हिस्सेदारी दी जाए और उनके लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जाए।

प्राइवेट कंपनियों में पीरियड लीव

पीरियड लीव के मामले में सरकारें भले ही पीछे रह गई हो लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनियों ने इसे लागू किया है। जोमेटो और स्वीगी ने पीरियड लीव का प्रावधान अपनाया तो काफी चर्चा हुई। आईवीपैन, बायजूस, मातृभूमि, मैगटर, इंडस्ट्री एआरसी, फ्लाईमाईबिज और गोजोप ने रजस्वला अवकाश को पेड लीव के रूप में लागू किया है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताईवान, इंडोनेशिया, स्पेन और जाम्बिया में पीरियड लीव का प्रावधान है।

REFERENCES

1. Maternity Benefit Act, 1961
2. The Menstruation Benefit Bill, 2017 by Ninong Ering M.P.
3. Research on Menstrual Leaves-Estimates by the Endometriosis Society India
4. BBC.Com- Countries having provisions for Menstrual Leaves
5. Notification of Government of Bihar, Finance Department Dated 04-041992
6. Endometriosis Awareness Month: All you need to know about the painful disorder. The India-Express, December 14, 2022
7. An Argument for Menstrual Leave in India. The Times of India, January 25, 2022
8. Periods: Company offers staff time off and flexible working. BBC website 15 July, 2022
9. Delhi High Court directs centre, Delhi Govt. to consider PIL seeking paid menstrual leave as representation. Bar & Bench-23rd November, 2020
10. No proposal to provide menstrual leaves in government departments: Centre in LS. The Indian Express, July 29, 2022
11. The most Populous. The Indian Express, April 21, 2023
12. Shailendra Mani Tripathi Vs Union of India. Writ Petition No. 217 of 2023. Public Interest Litigation

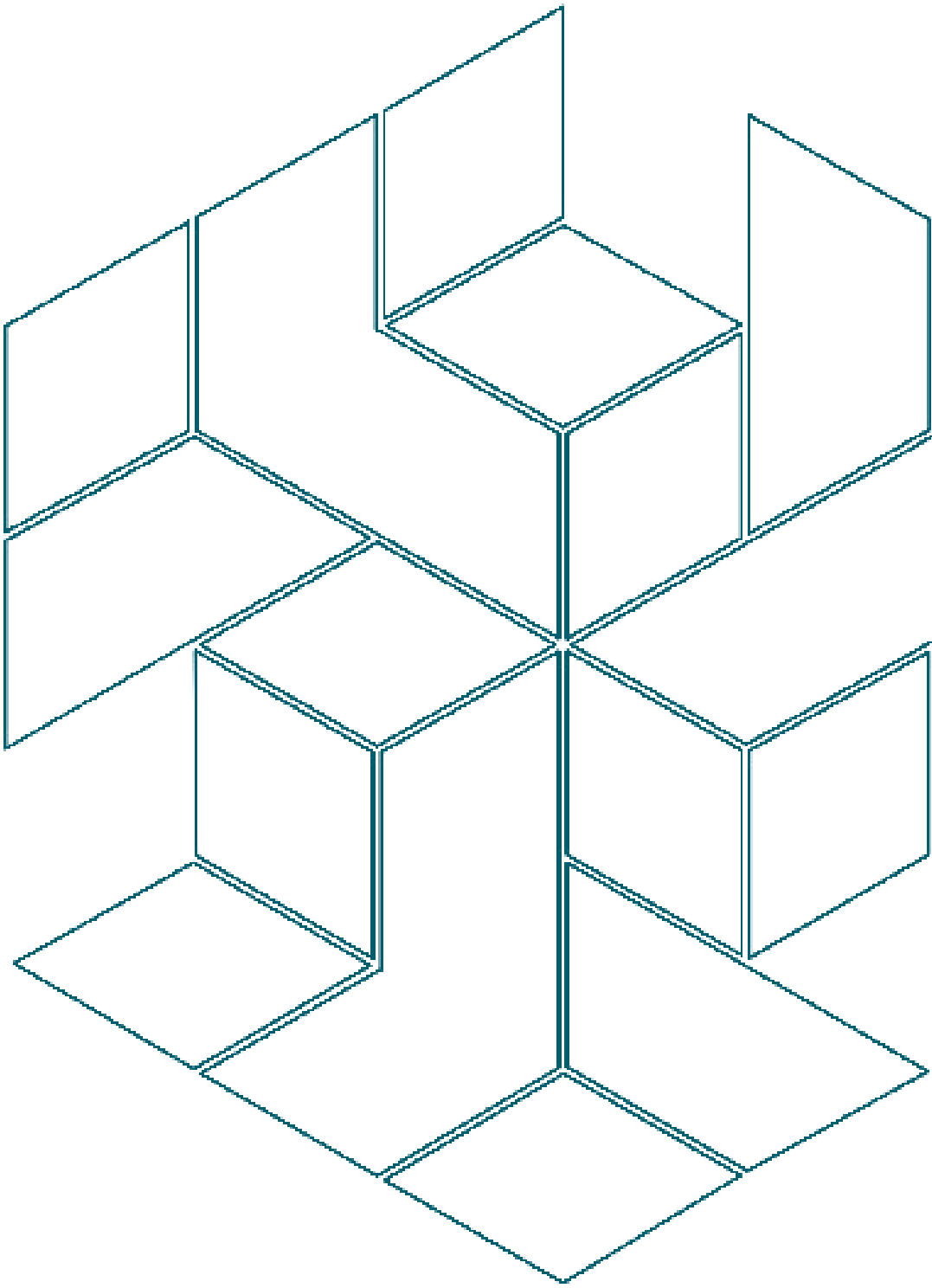

SPRF.IN